LAW AND JUDICIAL (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, June 25, 1957.

No. F. 4 (20)-LJ/A/57.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 21st day of June, 1957, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) AMENDMENT ACT, 1957

(Act No. 22 of 1957)

[*Received the assent of the Governor on the 21st day of June, 1957.*]

An

Act

to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

BE it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Amendment Act, 1957.

2. *Amendment of section 6, Rajasthan Act VI of 1957.*—The proviso to sub-section (1) of section 6 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act VI of 1957) hereinafter referred to as the principal Act, shall be omitted and shall be deemed always to have been omitted.

3. *Insertion of new section 6A in Rajasthan Act VI of 1957.*—After section 6 of the principal Act the following new section shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted:—

"6A. *Concessions on account of electricity and water.*—Each officer of the Legislative Assembly shall, irrespective of whether or not he avails himself of the use of a fully furnished house in Jaipur to which he is entitled under section 6, be further entitled to the concessions of payment by Government for him and on his behalf, throughout his term of office, of—

(a) a sum nct exceeding seventy-five rupees due from him on account of the consumption in any month of electricity at his residence, and

(b) a sum not exceeding twenty-five rupees due from him on account of the consumption in any month of water at such residence."

4. *Insertion of new section 14 in Rajasthan Act VI of 1957.*— After section 13 of the principal Act the following new section shall be inserted and shall be deemed always to have been inserted, namely:—

"14. *Regulation of certain payments on account of the concessions.*—Notwithstanding anything contained in the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1952 (Rajasthan Act XV of 1952) of the pre-reorganisation State of Rajasthan all sums of money paid or payable for and on behalf of an officer of the Legislative Assembly whose salary and allowances were governed by the said Act on account of the consumption of electricity and water at his residence shall, subject to the limits specified in section 6A, be deemed to have been properly and lawfully paid or payable and no demand shall be made on any such officer for the refund of the whole or any portion of such payment."

PRABHU DAYAL LOIWAL,
Secretary to the Government.

विधि एवं न्याय विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जून २५, १९५७

संख्या एफ. ४ (२०) एल. ज.।ए।५७:—राजस्थान आफिशियल लेंग्वेज एक्ट, १९५६ (सं० ४७ सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) एमेण्डमेण्ट एक्ट, १९५७ (एक्ट संख्या २२, १९५७) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९५७

(अधिनियम संख्या २२, सन् १९५७)

[राज्यपाल की स्वीकृति २१ जून, १९५७ को प्राप्त हुई।]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के आठवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

१. संक्षिप्त नाम:—यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

२. राजस्थान एक्ट ६, १९५७ की धारा ६ का संशोधन:—राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ (राजस्थान एक्ट ६ ऑफ १९५७), जिसका इससे आगे मूल एक्ट के नाम से उल्लेख किया गया है, की धारा ६ की उप-धारा (१) के प्रतिबंध का लोप कर दिया जायगा और सर्वदा लोप किया हुआ समझा जायेगा।

३. राजस्थान एक्ट ६, १९५७ में नई धारा ६क का निवेशन:—मूल एक्ट की धारा ६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निवेशित की जायगी और सर्वदा निवेशित की हुई समझी जायेगी:—

"६क—बिजली और पानी के बारे में रियायतें:—विधान सभा का प्रत्यक अधिकारी, चाहे वह जयपुर में पूर्णत: सज्जित मकान का उपयोग, जिसका कि वह धारा ६ के अन्तर्गत हकदार है, करे या नहीं

(क) उसके निवासस्थान पर किसी भी मास में बिजली के उपयोग के कारण उसके द्वारा देय ऐसी राशि जो पिचत्तर रुपये से अधिक न हो, और

(ख) ऐसे निवासस्थान पर किसी भी मास में पानी के उपयोग के कारण उसके द्वारा देय ऐसी राशि जो पच्चीस रुपये से अधिक न हो,

के, सरकार द्वारा उसके निमित तथा उसकी ओर से भुगतान की रियायत का पदावधि पर्यन्त और अधिकारी होगा ।"

४. राजस्थान एक्ट ६, १९५७ में नई धारा १४ का निवेशन :—मूल एक्ट की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निवेशित की जायेगी और सर्वदा निवेशित की हुई समझी जायेगी, अर्थात् :—

"१४. रियायतों के कारण किन्हीं भुगतानों का नियमन :—प्राक्-पुनर्गठन राजस्थान राज्य के राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५२ (राजस्थान एक्ट १५, १९५२) में किसी बात के होते हुए भी, विधान सभा के किसी भी ऐसे अधिकारी, जिसके वेतन एवं भत्ते कथित अधिनियम द्वारा शासित हों, के निमित्त तथा उसकी ओर से उसके निवासस्थान पर बिजली व पानी के उपयोग के कारण भुगतान की गई अथवा देय समस्त धन-राशियां, धारा ६ क, में निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन, यथोचित रूप से एवं विधिवत् भुगतान की गई अथवा देय समझी जायेंगी और किसी ऐसे अधिकारी से ऐसे किसी सम्पूर्ण भुगतान अथवा उसके किसी अंश के लौटाये जाने की मांग नहीं की जायेगी ।"

प्रभुदयाल लोईवाल,
शासन सचिव ।